कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 (10) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो. रा.यो./स्कूटी क्रय/ 2012-13/ 2190 दिनांक 26/11/12

M/s. TVS Motor Company Ltd.
Post Box No. 4,
Harita Hosur-635109
TAMILNADU.

विषय :- टी.वी.एस. स्कूटी पेप + डी.जी.एस. एण्ड डी रेट कान्ट्रेक्ट पर आपूर्ति बाबत।

संदर्भ :- DGS & D rate contrat No. Motorcycle/CH-3/Rc-28030000/1112/187/ 05834/228 dt. 21-01-2011 valid period from 21-01-2011 to 31-01-2013 तथा संस्थागत सैल्स मैनेजर श्री अमन सिसोदिया के पत्र दिनांक 24.09.2012

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्गित पत्रांकों के क्रम में लेख है कि देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के तहत डी.जी.एस. एण्ड डी की अनुमोदित दरों पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2174 दिनांक 28.9.2012 द्वारा दिये गये एक हजार से अधिक (1114) स्कूटी पेप के क्रम में 114 (एक सौ चौदह) स्कूटियों का आपूर्ति आदेश प्रति स्कूटी राशि रूपये 34,700.49 (चौतीस हजार सात सौ रूपये व उन्नचास पैसे मात्र) की दर से स्वीकृत की जाती है। स्कूटियों की आपूर्ति निम्नानुसार की जावें :-

1. आईटमः- टी.वी.एस. स्कूटी पेप ।
2. स्कूटियों की संख्याः- 114 (एक सौ चौदह)
3. प्रति स्कूटी मूल्य राशिः- 34,700.49 रुपये
4. कुल राशि 39,55,855.86/- (39,55,856/-) (रुपये उनतालीस लाख पचपन हजार आठ सौ छप्पन मात्र)
5. कुल राशि का 98 प्रतिशत अग्रिम 38,76,739/- (रुपये अडतीस लाख छियेत्तर हजार सात सौ उनतालीस मात्र) शेष 02 प्रतिशत राशि का भुगतान स्कूटियों की आपूर्ति बाद किया जावेगा।
6. आपूर्ति स्थानः- छात्रा के अध्ययनरत राजकीय महाविद्यालय राजस्थान में देनी होगी। (स्वीकृत सूची संलग्न है)
7. आपूर्ति अवधिः- स्कूटियों की आपूर्ति अतिशीघ्र एवं डी.जी.एस. एण्ड डी के नियम सम्मत की जावें।
8. आपूर्ति के समय स्कूटी में 02 (दो) लीटर पेट्रोल होना चाहिये।
9. उक्त क्रय आदेश डी.जी.एस. एण्ड डी की अनुमोदित दरों एवं नियम तथा शर्तों के तहत दिया जाता है।

(नवीन जैन)
निदेशक
कॉलेज शिक्षा विभाग, राज., जयपुर

क्रमांक एफ 23 (10) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो. रा.यो./स्कूटी क्रय/ 2012-13/ 2191-2198 दिनांक 26/11/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार , निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग सचिवालय , जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी/छात्रवृत्ति) निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
7. स्टोर प्रभारी/ स्टोर कीपर, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
8. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि प्राप्त स्कूटियों का जिला पूल के तकनीकि कार्मिक से निरीक्षण करा कर, रजिस्ट्रेशन तथा एक वर्ष का बीमा अपने स्तर पर करावे। प्राप्त स्कूटियों की स्टॉक एन्ट्री कर के छात्रा को सुपुर्द कर उनसे प्राप्ति रसीद लेकर, उस पर छात्रा के पिता/ अभिभावक के हस्ताक्षर करा कर, अपने प्रतिहस्ताक्षर कर रिकार्ड में रखे तथा उसकी एक प्रमाणित फोटो प्रति इस कार्यालय को भिजवाये। यह सुनिश्चित कर लेवे कि छात्रा आपके महाविद्यालय में वर्ष 2011-12 में स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत रही है।

(डॉ. सी. एम. खटीक)
संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)
कॉलेज शिक्षा विभाग राज.जयपुर